



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266509
CG-DL-E-29092025-266509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4284]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/अश्विन 4, 1947

No. 4284]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025 ASWINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4404(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2324 तारीख 26/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के बाइमेर जिले में NH70 के कि.मी. 46 से कि.मी.82.6 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 06/06/2025 को “दैनिक भास्कर”, 06/06/2025 को “राजस्थान पत्रिका” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में NH70 के कि.मी. 46 से कि.मी. 82.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: बाड़मेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गड़रा रोड़					
गांव का नाम: सुन्दरा					
1	575/72	सरकारी	गै.मु.गोचर	0.8546	ग्राम पंचायत सुन्दरा प.स. शिव
2	582/99	निजी	बा.च.	0.3108	पुरखसिंह पुत्र पूनमसिंह, खंगारसिंह पुत्र सवाईसिंह
3	584/99	निजी	बा.च.	0.1332	खुमाणाराम पुत्र हसणराम
4	585/99	सरकारी	बा.च.	0.0092	राज सरकार
5	587/99	निजी	बा.च.	0.715	चंद्रकंवर पत्नि भैरसिंह, जालमसिंह पुत्र भेरसिंह, श्रवणसिंह पुत्र भेरसिंह, लीलसिंह पुत्र भेरसिंह
6	588/99	निजी	बा.च.	1.0041	राणा पुत्र दला
7	589/99	निजी	बा.च.	0.2873	समन्दकंवर पत्नि जालमसिंह
8	600/107	सरकारी	गै.मु.गोचर	6.5971	ग्राम पंचायत सुन्दरा प.स. शिव
9	627/463	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0315	राज सरकार
10	637/482	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0021	राज सरकार
11	639/482	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.02	राज सरकार

12	640/483	सरकारी	गै.मु.गोचर	4.6919	ग्राम पंचायत सून्दरा प.स. शिव
13	643/487	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0163	राज सरकार
14	651/495	सरकारी	गै.मु.गोचर	0.6185	ग्राम पंचायत सून्दरा प.स. शिव
15	666/495	सरकारी	गै.मु.गोचर	6.313	रेन्ज वन विभाग शिव
16	668/99	निजी	बा.च.	0.3053	महिपालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, किशोरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
17	678/666	सरकारी	गै.मु.गोचर	2.6804	रेन्ज वन विभाग शिव NA
18	695/688	सरकारी	गै.मु.सङ्क	0.026	सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
Total				24.6163	

[फा.स. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

S.O. 4404(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2324 Dated:26/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH70 in the stretch of land from Km. 46 to Km. 82.6 in the district of BARMER in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated 06/06/2025, “Rajasthan Patrika” dated 06/06/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH70 in the stretch of land from Km. 46 to Km. 82.6 in the district of BARMER in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: BARMER		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gadra road					
Village: Sundra					
1	575/72	Government	Gai.Mu.Gochar	0.8546	Gram Panchayat Sundra P.S. Shiv
2	582/99	Private	Baa.Cha.	0.3108	Purkhasingh son of Poonamsingh, Khangarsingh son of Sawaisingh
3	584/99	Private	Baa.Cha.	0.1332	Khumanaram son of Hasanram
4	585/99	Government	Baa.Cha.	0.0092	State Government
5	587/99	Private	Baa.Cha.	0.715	Chandrakanwar wife of Bhairsingh, Jalamsingh son of Bhersingh, Shravansingh son of Bhersingh, Lilsingh son of Bhersingh
6	588/99	Private	Baa.Cha.	1.0041	Rana son of Dala
7	589/99	Private	Baa.Cha.	0.2873	Samandkanwar wife of Jalam Singh
8	600/107	Government	Gai.Mu.Gochar	6.5971	Gram Panchayat Sundra P.S. Shiv
9	627/463	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0315	State Government
10	637/482	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0021	State Government

11	639/482	Government	Gai.Mu.Rasta	0.02	State Government
12	640/483	Government	Gai.Mu.Gochar	4.6919	Gram Panchayat Sundra P.S. Shiv
13	643/487	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0163	State Government
14	651/495	Government	Gai.Mu.Gochar	0.6185	Gram Panchayat Sundra P.S. Shiv
15	666/495	Government	Gai.Mu.Gochar	6.313	Range Forest Department Shiv
16	668/99	Private	Baa.Cha.	0.3053	Mahipal Singh son of Indra Singh, Kishor Singh son of Indra Singh
17	678/666	Government	Gai.Mu.Gochar	2.6804	Range Forest Department Shiv
18	695/688	Government	Gai.Mu. Road	0.026	Ministry of Road Transport and Highways Government of India New Delhi
Total				24.6163	

[F.No. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director